


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 54]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

सं. 1/1/2013-ई.III(ए).—भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है जो इस प्रकार है:—

- | | | | |
|----|---------|---|-----------------------------------|
| 1. | अध्यक्ष | - | न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर |
| 2. | सदस्य | - | श्री विवेक राय |
| 3. | सदस्य | - | डॉ. रथिन राँय |
| 4. | सचिव | - | श्रीमती मीना अग्रवाल |

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

(क) कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना और सिफारिश करना जिनसे परिलब्धियों की संरचना, वेतन, भत्ते एवं नकद अथवा वस्तु रूप में अन्य सुविधाएं/लाभ शासित होने चाहिए; और ऐसा करते हुए इन सिफारिशों के यौक्तिकीकरण और सरलीकरण के साथ-साथ विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की विशेषीकृत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया हो:-

- (i) केन्द्र सरकार के कर्मचारी - औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक;
 - (ii) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक;
 - (iii) संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक;
 - (iv) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी;
 - (v) संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों (आरबीआई को छोड़कर) के सदस्य; और
 - (vi) उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी
- (ख) उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना और सिफारिश करना जिनसे रक्षा बलों के कार्मिकों की परिलब्धियों की संरचना, रियायतें एवं नकद अथवा वस्तु रूप में सुविधाएं/लाभ तथा सेवानिवृत्ति लाभ शासित होने चाहिए और ऐसा करते हुए इन कार्मिकों के विशिष्ट पक्षों पर उपयुक्त बल देते हुए इन बलों की ऐतिहासिक एवं पारंपरिक समानताओं को ध्यान में रखा गया हो।
- (ग) सरकारी सेवा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य संस्कृति में सक्षमता, जबाबदेही एवं जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहन देने और आधुनिक प्रशासन की जटिल चुनौतियों के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का मुकाबला करने की दृष्टि से लोक प्रशासन तंत्र में उत्कृष्टता को पुष्ट करने की आवश्यकता से संबद्ध परिलब्धि संरचना का ढांचा तैयार करना जिसमें हितधारियों की अपेक्षाओं पर उचित ध्यान दिया गया हो; साथ ही, दक्षता आधारित विन्यास के माध्यम से समुचित प्रशिक्षण एवं दक्षता निर्माण के उपाय सुझाना।
- (घ) बोनस की विद्यमान स्कीमों की जांच, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यनिष्पादन एवं उत्पादकता पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए करना और उत्पादकता, कार्यनिष्पादन एवं सत्यनिष्ठा में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन स्कीम हेतु सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों एवं शर्तों के संबंध में सिफारिशें करना।
- (ङ.) कर्मचारियों को, वर्तमान में वेतन के अतिरिक्त उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विद्यमान भत्तों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके यौक्तिकीकरण एवं सरलीकरण का सुझाव देना कि वेतन संरचना तैयार करते समय इनको ध्यान में रखा गया है।
- (च) उन सिद्धांतों की जांच करना जिनसे पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना शासित होनी चाहिए, और इसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ 'नई पेंशन योजना' के दायरे में आते हैं, उन कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन भी शामिल है जो इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
- (छ) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना:
- (i) देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता;
 - (ii) यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें;

- (iii) उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं, की वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव;
- (iv) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धि संरचना और सेवानिवृत्ति लाभ; और
- (v) सर्वश्रेष्ठ वैश्विक पद्धतियां एवं भारतीय परिस्थितियों में इनकी स्वीकार्यता तथा प्रासंगिकता।
- (ज) उपर्युक्त सभी बिंदुओं के बारे में अपनी सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख की संस्तुति करना।

3. यह आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, सांस्थानिक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य जिन्हें यह आवश्यक समझे, ले सकता है। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष, आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. आयोग, अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग, सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।

रतन पी वातल, सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
RESOLUTION

New Delhi, the 28th February, 2014

No.1/1/2013-E.III(A).—The Government of India have decided to appoint the Seventh Central Pay Commission comprising of the following:—

- | | | | |
|----|-----------|---|---------------------------------|
| 1. | Chairman | - | Justice Shri Ashok Kumar Mathur |
| 2. | Member | - | Shri Vivek Rae |
| 3. | Member | - | Dr. Rathin Roy |
| 4. | Secretary | - | Smt. Meena Agarwal |

2. The terms of reference of the Commission will be as follows:—

- (a) To examine, review, evolve and recommend changes that are desirable and feasible regarding the principles that should govern the emoluments structure including pay, allowances and other facilities/benefits, in cash or kind, having regard to rationalization and simplification therein as well as the specialized needs of various Departments, agencies and services, in respect of the following categories of employees:—
- (i) Central Government employees—industrial and non-industrial;
- (ii) Personnel belonging to the All India Services;
- (iii) Personnel of the Union Territories;
- (iv) Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department;
- (v) Members of the regulatory bodies (excluding the RBI) set up under the Acts of Parliament; and
- (vi) Officers and employees of the Supreme Court

- (b) To examine, review, evolve and recommend changes that are desirable and feasible regarding the principles that should govern the emoluments structure, concessions and facilities/benefits, in cash or kind, as well as the retirement benefits of the personnel belonging to the Defence Forces, having regard to the historical and traditional parities, with due emphasis on the aspects unique to these personnel,
- (c) To work out the framework for an emoluments structure linked with the need to attract the most suitable talent to Government service, promote efficiency, accountability and responsibility in the work culture, and foster excellence in the public governance system to respond to the complex challenges of modern administration and the rapid political, social, economic and technological changes, with due regard to expectations of stakeholders, and to recommend appropriate training and capacity building through a competency based framework,
- (d) To examine the existing schemes of payment of bonus, keeping in view, inter-alia, its bearing upon performance and productivity and make recommendations on the general principles, financial parameters and conditions for an appropriate Incentive Scheme to reward excellence in productivity, performance and integrity,
- (e) To review the variety of existing allowances presently available to employees in addition to pay and suggest their rationalization and simplification with a view to ensuring that the pay structure is so designed as to take these into account,
- (f) To examine the principles which should govern the structure of pension and other retirement benefits, including revision of pension in the case of employees who have retired prior to the date of effect of these recommendations, keeping in view that retirement benefits of all Central Government employees appointed on and after 01.01.2004 are covered by the New Pension Scheme (NPS),
- (g) To make recommendations on the above, keeping in view:
- i. the economic conditions in the country and the need for fiscal prudence;
 - ii. the need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditures and welfare measures;
 - iii. the likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments, which usually adopt the recommendations with some modifications;
 - iv. the prevailing emolument structure and retirement benefits available to employees of Central Public Sector Undertakings; and
 - v. the best global practices and their adaptability and relevance in Indian conditions.
- (h) To recommend the date of effect of its recommendations on all the above,

3. The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisors, Institutional Consultants and Experts, as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence, as it may consider necessary. Ministries and Departments of Government of India shall furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trusts that State Governments, Service Associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

4. The Commission will have its Headquarters in Delhi.

5. The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized.

RATAN P. WATAL, Secy.